

फा.1/4(2)/2023-अ.-IV

संघ लोक सेवा आयोग

भर्ती IV अनुभाग

पद का नाम	गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ), कारपोरेट कार्य मंत्रालय में सहायक निदेशक (फॉरेंसिक लेखा परीक्षा) के एक (अ.जा.) पद की रिक्ति।	
विज्ञापन सं.	07/2023	
रिक्ति सं.	23040704408	
लघुसूचीबद्ध करने के लिए अपनाए गए मानदंड	अनारक्षित	-
	ईडब्ल्यूएस	-
	अ.पि.व.	-
	अ.जा.	अ.यो.-(क) + अ.यो.-(ख)
	अ.ज.जा.	-
	पीडब्ल्यूबीडी	-
लघु सूचीबद्ध किए गए उम्मीदवारों के अनुक्रमांक	अनुक्रमांक	16, 29, 39 & 49. (04 उम्मीदवार)
कम पाए गए दस्तावेजों को जमा करने के अध्यधीन अनंतिम रूप से लघुसूचीबद्ध किए गए उम्मीदवार	अनुक्रमांक	12*, 22* & 23*. (03 उम्मीदवार)

* यदि उम्मीदवार निर्धारित तारीख से पहले अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उनका आवेदन "अपूर्ण" श्रेणी के तहत अस्वीकार किया जाएगा।

: अस्वीकृत :

उन उम्मीदवारों के अनुक्रमांक जिन्हें लघु-सूचीबद्ध नहीं किया गया है।	श्रेणी जिसके अंतर्गत अस्वीकृत किया गया	अनुक्रमांक
	एलईक्यू-क	06, 13, 17, 24, 26, 28 & 31. (07 उम्मीदवार)
	एलईक्यू-ख	03, 04, 07, 08, 14, 18, 19, 32, 33, 35, 38, 40, 41, 46, 47, 48, 50, 55 & 56. (19 उम्मीदवार)
	:अपूर्ण:	
	अनुभव प्रमाण-पत्र के बिना	05, 09, 10, 11, 20, 21, 25, 27, 34, 36, 37, 42, 43, 45, 51, 53 & 57. (17 उम्मीदवार)
	अनुभव प्रमाण-पात्र के दस्तावेज स्वीकार्य नहीं	30. (01 उम्मीदवार)
	अपूर्ण - अन्य	01 & 02. (02 उम्मीदवार)
अनुभव प्रमाण-पत्र में कर्तव्यों के स्वरूप का उल्लेख नहीं	15, 44, 52 & 54. (04 उम्मीदवार)	

अमन
24/04/2024

महत्वपूर्ण अनुदेश:

ऐसे उम्मीदवार, जो उक्त पद हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने हेतु लघु सूचीबद्ध किए जाने के प्रयोजनार्थ अपनाए गए मानदंडों तथा मापदंडों के आधार पर अपनी अस्वीकृति के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के इच्छुक हों, वे मुख्य आधार/कारण बताते हुए अपना अभ्यावेदन दिनांक **05.05.2024** तक sort4.upsc@nic.in पर प्रस्तुत कर दें। इस तारीख के बाद प्राप्त हुई मेल को खोला नहीं जाएगा। प्राप्त हुए सभी अभ्यावेदनों की जांच की जाएगी और यदि किसी मामले में उल्लिखित आधार/कारण, अपनाए गए मानदंडों तथा मापदंडों के अनुरूप सही पाए गए, तो ऐसे आवेदनों को लघु सूचीबद्ध किया जाएगा और शेष आवेदनों की अस्वीकृति की स्थिति बरकरार रहेगी। परन्तु इसकी जांच आयु, श्रेणी, योग्यता, अनुभव और वांछनीय अनुभव के संबंध में ऑनलाइन भर्ती आवेदन में किए गए दावे के अनुसार की जाएगी। तत्पश्चात्, यदि संवीक्षा संबंधी विवरण में कोई परिवर्तन हुआ, तो संशोधित और अद्यतन विवरण अपलोड किए जाएंगे। उक्त में से किसी ई-मेल का उत्तर अलग से नहीं दिया जाएगा।

<p>अपनाए गए मानदंड</p>	<p>(i) संवीक्षा प्रथम रूप से उम्मीदवारों द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी /किए गए दावे के अनुसार कंप्यूटर प्रणाली द्वारा जनरेट की गई रिपोर्ट के आधार पर तत्पश्चात् केवल उन्हीं उम्मीदवारों, जो प्रथमदृष्ट्या ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी/किए गए दावे के अनुसार पात्र पाए गए हों, को ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड किए गए समर्थक दस्तावेजों की संवीक्षा के अनुसार ऑनलाइन की गई है।</p> <p>(ii) ऑन-लाइन भर्ती आवेदन (ओआरए) में दावा किए गए अनुभव पर ही संवीक्षा हेतु अनुभव के रूप में विचार किया गया है और ओआरए के अनुभव संबंधी कॉलम में इसके संदर्भ दिए बिना संलग्न प्रमाण-पत्रों पर विचार नहीं किया गया है।</p> <p>(iii) आवेदनों की संवीक्षा, संबंधित पद के भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार ही की गई है।</p> <p>(iv) आवश्यक प्रमाण-पत्रों द्वारा समर्थित होने पर ही उम्मीदवार द्वारा किए गए दावे की संपूर्ण अनुभव अवधि पर विचार किया गया है।</p> <p>(v) विज्ञापन में विनिर्दिष्ट संगत क्षेत्र में धारित अनुभव पर विचार किया गया है।</p> <p>(vi) ऐसे उम्मीदवार जिनके पास संगत अनिवार्य शैक्षिक योग्यता नहीं है उन्हें "एलईक्यू-क" के तहत अस्वीकार किया गया है।</p> <p>(vii) यदि, अनुभव भर्ती नियमावली और पद के लिए विज्ञापन में यथानिर्दिष्ट संगत क्षेत्र में नहीं है या गणना किया गया संगत अनुभव, भर्ती नियमावली में यथानिर्दिष्ट अनिवार्य अवधि से कम है तो ऐसे उम्मीदवारों को "एलईक्यू ख" श्रेणी के तहत अस्वीकार किया गया है। शोध अनुभव को संगत नहीं माना गया है।</p> <p>(viii) उम्मीदवार की पात्रता का पता लगाने के लिए अनुभव प्रमाण-पत्र अपलोड/उपलब्ध करवाया जाए। अतः, जिन उम्मीदवारों ने अनुभव प्रमाण-पत्र अपलोड/प्रस्तुत नहीं किए हैं उनके आवेदनों को "अपूर्ण" श्रेणी के रूप में अस्वीकार कर दिया गया है। जिन अनुभव प्रमाण-पत्रों पर कार्यों के स्वरूप का उल्लेख नहीं किया गया है उन पर भी विचार नहीं किया गया है और उन्हें "अपूर्ण" श्रेणी के रूप में अस्वीकार कर दिया गया है। इसी प्रकार, जिन आवेदकों ने संगत अनुभव का दावा किया है परंतु उसके समर्थन में संलग्न अनुभव प्रमाण-पत्र दावा की गई संपूर्ण अवधि का नहीं है, को भी "अपूर्ण" श्रेणी के रूप में अस्वीकार कर दिया गया है।</p> <p>(ix) ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की ना तो अंक -तालिका और ना ही डिग्री प्रमाण-पत्र जमा की है उनके आवेदन को "अपूर्ण" श्रेणी के तहत अस्वीकार किया गया है।</p> <p>(x) नियुक्ति पत्र, कार्यालय आदेश, पंजीकरण/नामांकन प्रमाण-पत्र, त्याग पत्र, कार्यमुक्ति आदेश, वेतन प्रमाण-पत्र और स्व-रोजगार प्रमाण-पत्र को संगत नहीं माना गया है। ऐसे उम्मीदवारों को "अपूर्ण" श्रेणी के तहत अस्वीकार किया गया है।</p> <p>(xi) अंशकालिक, प्रति-घंटा आधार पर, दैनिक मजदूरी, प्रशिक्षु, ट्रेनी, परामर्शदाता, मानद, स्वैच्छिक, इंटरनशिप, कैजुअल, वजीफा को संगत नहीं माना गया है। ऐसे उम्मीदवारों को "अपूर्ण" श्रेणी के तहत अस्वीकार किया गया है।</p>
-------------------------------	---

अग्र
24/04/2024

(xii) प्रशिक्षु अवधि को केवल तभी संगत माना गया है जब उस अवधि के तुरंत बाद उसी संगठन में संगत अनुभव वाले पद पर बिना किसी सेवा व्यवधान के नियमित नियुक्ति हो।
(xiii) आयोग के परिपत्र सं. एफ.8/84/2010-भर्ती (समन्वय एवं नीति) दिनांक 23.12.2010 के अनुसार, अनुभव प्रमाण-पत्र विहित प्रोफार्मा में होने चाहिए। तथापि, आवेदकों द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में अनुभव प्रमाण-पत्र जमा नहीं किए जाने पर, उनके अनुभव प्रमाण-पत्र पर तभी विचार किया गया है, यदि अनुभव प्रमाण-पत्र विनिर्दिष्ट अनुभव प्रमाण-पत्र में उपलब्ध सभी विवरणों की संतुष्टि करता है।
(xiv) कुछ उम्मीदवारों को एक से अधिक श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया जा सकता है। उन्हें सर्वाधिक उपयुक्त श्रेणी के तहत अस्वीकार किया गया है।
नोट:- आयोग द्वारा मानदंडों का निर्धारण, प्रत्येक मामले के आधार पर अलग-अलग किया जाता है।

उपर्युक्त पद हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की सूची उनके अनुक्रमांक सहित आयोग की वेबसाइट पर निम्नलिखित रूप से अपलोड कर दी गई है:

मुख्य पृष्ठ>>भर्ती>>भर्ती मामलों की स्थिति (विज्ञापन-वार)>>आवेदकों की सूची


संकेतक:

एलईक्यू-क - अनिवार्य योग्यता - शैक्षणिक (क) में कमी

एलईक्यू-ख - अनिवार्य योग्यता - अनुभव (ख) में कमी

ईसी - अनुभव प्रमाण-पत्र

एनओडी - कर्तव्यों का स्वरूप


24/04/2024
(ए.एन. मिश्रा)

उप सचिव (भ.IV)

दूरभाष: 011-23383766

उपरोक्त विवरण के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच अंतर के मामले में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।